न्यायालय राजस्व मण्डल राजस्थान अजमेर

प्रकरण संख्या– अपीलडि./टीए/474/2006/चितौडगढ

1. मु. नारायणी बेवा भैरा डांगी
2. भंवरलाल
3. धन्ना
4. बगदी राम पुत्रगण भंवरलाल
   समस्त निवासी ग्राम पालोद तहसील डूंगला जिला चितौडगढ

–अपीलार्थीगण

बनाम

1. अम्बालाल
2. कालू
3. रामेश्वर
4. लालूराम पुत्रगण उद्दा डांगी
5. मु. वरजू बेवा उद्दा डांगी
6. मु. लाली पुत्री उद्दा डांगी
   समस्त निवासी ग्राम पालोद तहसील डूंगला जिला चितौडगढ
7. राजस्थान सरकार जरिये तहसीलदार डूंगला

–प्रत्यर्थीगण

खण्डपीठ
श्री मुकेश शर्मा, अध्यक्ष
श्री सुनील कुमार शर्मा, सदस्य

उपस्थित

श्री पूर्णशंकर दशौरा, अधिवक्ता अपीलार्थीगण
श्री के.के. पुरोहित, अधिवक्ता, प्रत्यर्थीगण

निर्णय

दिनांक 08.01.2020

अपीलार्थीगण द्वारा यह अपील राजस्थान काश्तकारी अधिनियम, 1955 की धारा 224 के अन्तर्गत राजस्व अपील प्राधिकारी, चितौडगढ द्वारा पारित निर्णय एवं डिक्री दिनांक 17–01–2006 के विरूद्ध प्रस्तुत की गयी है।

2. प्रकरण के संक्षेप में तथ्य इस प्रकार से है कि वादीगण प्रत्यर्थीगण ने विचारण न्यायालय के समक्ष राजस्थान काश्तकारी अधिनियम, 1955 की धारा 48, 49, 88, 188 के अन्तर्गत प्रतिवादीगण अपीलार्थीगण के विरूद्ध ग्राम पालोद स्थित आराजी खसरा नम्बर 1678 रकबा 01बीघा 07 एवं खसरा नम्बर 1691 रकबा 01बीघा 01बिस्वा भूमि बाबत् वाद प्रस्तुत कर विनिमय के आधार पर खसरा नम्बर 1691 वादीगण की खातेदारी में एवं खसरा नम्बर 1678 प्रतिवादीगण की खातेदारी में घोषित की जाकर प्रतिवादीगण को स्थाई निषेधाज्ञा से पाबन्द किये जाने का अनुतोष चाहा। विचारण न्यायालय द्वारा प्रकरण दर्ज रजिस्टर कर प्रतिवादीगण को जरिये नोटिस तलब किया। प्रतिवादीगण की ओर से जवाबदावा प्रस्तुत कर वाद को खारिज किये जाने का अनुतोष चाहा। विचारण न्यायालय ने दावे एवं जवाबदावे के आधार पर अनुतोष सहित पांच तनकीयात कायम की। तत्पश्चात् विचारण न्यायालय ने उभयपक्ष पक्ष की मौखिक एवं दस्तावेजी साक्ष्य लिपिबद्ध करने के उपरान्त उभयपक्ष की बहस सुनकर निर्णय व डिक्री दिनांक 30–06–2005 से वादी द्वारा प्रस्तुत वाद को खारिज कर दिया। इस निर्णय के विरूद्ध वादीगण प्रत्यर्थी प्रत्यर्थीगण ने अपीलीय न्यायालय के समक्ष अपील प्रस्तुत की, जिसे उन्होंने अपने निर्णय व डिक्री दिनांक 17–01–2006 से स्वीकार कर विचारण न्यायालय द्वारा पारित निर्णय एवं डिक्री को निरस्त करते हुए विनिमय को स्वीकार कर खसरा नम्बर 1691 रकबा 0.266हैक्टयर वादीगण एवं खसरा नम्बर 1678 रकबा 0.253 प्रतिवादीगण की खातेदारी में विनिमय द्वारा परिवर्तन करने की स्वीकृति प्रदान कर दी। इसी निर्णय एवं डिक्री से व्यथित होकर प्रतिवादीगण अपीलार्थीगण द्वारा यह अपील राजस्व मण्डल के समक्ष प्रस्तुत की।

3. हमने उभय पक्ष के योग्य अधिवक्तागण की बहस सुनी।

4. योग्य अधिवक्ता अपीलार्थीगण ने अपनी बहस में अपील मीमों में अंकित तथ्यों को दोहराते हुए कथन किया कि अधीनस्थ अपीलीय न्यायालय द्वारा पारित निर्णय न्याय, नियम एव रिकार्ड के विपरीत होने से निरस्त किये जाने योग्य है। उनका कथन है कि विचारण न्यायालय ने विनिमय को दस्तावेजी साक्ष्य से प्रमाणित नहीं होना मानते हुए वादीगण द्वारा प्रस्तुत वाद को विधिसम्मत् निर्णय व डिक्री से खारिज किया, जिसे अधीनस्थ अपीलीय न्यायालय द्वारा तनकीवार विवेचन एवं विश्लेषण किये बिना स्वीकार करने में सिविल प्रक्रिया संहिता के आदेश 41 नियम 31 जाप्ता दीवानी की अवहेलना की गयी है। उनका कथन है कि राजस्थान काश्तकारी अधिनियम की धारा 48(1) में प्रावधित प्रावधानों अनुसार काश्तकार जो समान वर्ग का हो वह भूमिधारी तहसीलदार की लिखित स्वीकृति के पश्चात् ही विनिमय कर सकता है, प्रस्तुत प्रकरण में भूमिधारी तहसीलदार की कोई लिखित स्वीकृति नहीं होने से अपीलीय न्यायालय द्वारा पारित निर्णय विधिक रूप से त्रुटि पूर्ण है। उनका कथन है कि राजस्थान काश्तकारी अधिनियम, 1955 की धारा 49 के अनुसार ऐसे प्रार्थनापत्र प्रस्तुत होने पर सहायक जिलाधीश जांच करेगे एवं उचित कारण होने पर ही सम्पत्ति बराबर मूल्यांकन कर विनिमय का आदेश देगें। प्रस्तुत प्रकरण में विचारण न्यायालय ने पक्षकारान की ओर से प्रस्तुत दस्तावेजी एवं मौखिक साक्ष्य के आधार पर विनिमय को प्रमाणित नही होना मानते हुए वादीगण द्वारा प्रस्तुत वाद को खारिज किया, जिसे अधीनस्थ अपीलीय न्यायालय द्वारा पारित अपीलाधीन निर्णय से निरस्त करने में विधिक एवं तथ्यात्मक त्रुटि कारित की है। उनका कथन है कि अधीनस्थ अपीलीय न्यायालय द्वारा उक्त तथ्यों की अनदेखी करते हुए सरसरी तौर पर अपीलाधीन निर्णय व डिक्री पारित की गयी है। अतः अपीलार्थीगण की ओर से प्रस्तुत अपील स्वीकार की जाकर अधीनस्थ अपीलीय न्यायालय द्वारा पारित अपीलाधीन निर्णय व डिक्री को निरस्त किया जाकर विचारण न्यायालय द्वारा पारित निर्णय एवं डिक्री को बहाल रखा जावे।

5. इसके विपरीत योग्य अधिवक्ता प्रत्यर्थीगण ने अपनी बहस में कथन किया कि वादीगण के पिता उदा ने प्रतिवादीगण की आराजी खसरा नम्बर 1691 के बदले अपनी आराजी खसरा नम्बर 1678 का आपसी अदला बदली करीब 40वर्ष पूर्व की थी तथा उस बदला बदली के आधार पर खसरा नम्ब्र 1678 पर प्रतिवादीगण काबिज काश्त है तथा आराजी खसरा नम्बर 1691 पर पहले वादीगण के पिता एवं उनकी मृत्यु उपरान्त वादीगण काबिज काश्त है। उनका कथन है कि वादी की आराजी खसरा नम्ब्र 1678 से मिली हुई प्रतिवादी की आराजी खसरा नम्बर 1683 पास में होने से प्रतिवादी ने दोनों आराजी को मिलाकर एक चक कर लिया तथा प्रतिवादी की आराजी खसरा नम्बर 1691 के पास वादी की आराजी खसरा नम्बर 1693 होने से दोनों को मिलाकर एक चक कर लिया है, जिसे विचारण न्यायालय के समक्ष उनके पक्षकार की ओर से प्रस्तुत दस्तावेजी साक्ष्य से प्रमाणित कराया किन्तु विचारण न्यायालय द्वारा वाद को खारिज कर दिया, जो विधिक रूप से त्रुटिपूर्ण होने से निरस्त योग्य है। उनका कथन है कि अधीनस्थ अपीलीय न्यायालय द्वारा इन्ही तथ्यों को ध्यान में रखते हुए विधिसम्मत् निर्णय पारित किया गया है, जिसमें प्रकरण के तथ्यों की पूर्ण विवेचना एवं विश्लेषण किया गया है। केवल मात्र तनकीवार विवेचन एवं विश्लेषण नहीं किये जाने के आधार पर अपीलीय न्यायालय द्वारा पारित निर्णय को निरस्त किया जाना विधिसम्मत् नहीं है। उनका कथन है कि अधीनस्थ अपीलीय न्यायालय ने पक्षकारान की ओर से प्रस्तुत मौखिक साक्ष्य के आधार पर विधिसम्मत् निर्णय व डिक्री पारित की गयी है, जिसमें किसी प्रकार की कोई विधिक अथवा तथ्यात्मक त्रुटि नहीं होने से पारित निर्णय में द्वितीय अपील के माध्यम से हस्तक्षेप किया जाना न्यायोचित नहीं है। अतः अपीलार्थीगण द्वारा प्रस्तुत अपील को खारिज किया जावे।

6. हमने उभय पक्ष के योग्य अधिवक्ताओं द्वारा की गयी बहस पर मनन किया तथा अधीनस्थ न्यायालयों से प्राप्त रिकार्ड का बारीकी से अध्ययन एवं मूल्यांकन किया।

7. अधीनस्थ न्यायालयों की पत्रावलियां एवं पारित निर्णयों के अवलोकन से स्पष्ट होता है कि प्रत्यर्थीगण ने विचारण न्यायालय के समक्ष राजस्थान काश्तकारी अधिनियम, 1955 की धारा 48, 49, 88, 188 के अन्तर्गत अपीलार्थीगण के विरूद्ध ग्राम पालोद स्थित विवादित आराजी बाबत् वाद प्रस्तुत कर विनिमय के आधार पर खसरा नम्बर 1691 वादीगण की खातेदारी में एवं खसरा नम्बर 1678 प्रतिवादीगण की खातेदारी में घोषित की जाकर प्रतिवादीगण को स्थाई निषेधाज्ञा से पाबन्द किये जाने का अनुतोष चाहा। इस प्रकार प्रस्तुत मूल वाद में वादीगण के पिता उदा ने प्रतिवादीगण की आराजी खसरा नम्बर 1691 के बदले अपनी आराजी खसरा नम्बर 1678 का आपसी अदला बदली करीब 40वर्ष पूर्व किये जाने तथा उस बदला बदली के आधार पर खसरा नम्बर 1678 पर प्रतिवादीगण काबिज काश्त होने तथा आराजी खसरा नम्बर 1691 पर पहले वादीगण के पिता एवं उनकी मृत्यु उपरान्त वादीगण के काबिज काश्त होने का कथन अंकित किया गया है। मूल वादपत्र में पक्षकारान के मध्य निष्पादित विनिमय का कोई लिखित दस्तावेज प्रस्तुत नहीं हुआ है। राजस्थान काश्तकारी अधिनियम, 1955 की धारा 48(1) में प्रावधित प्रावधानों अनुसार काश्तकार जो समान वर्ग का हो वह भूमिधारी तहसीलदार की लिखित स्वीकृति के पश्चात् ही विनिमय कर सकता है, प्रस्तुत प्रकरण में भूमिधारी तहसीलदार की कोई लिखित स्वीकृति नहीं नहीं है। इसी प्रकार राजस्थान काश्तकारी अधिनियम, 1955 की धारा 49 के अनुसार प्रार्थनापत्र प्रस्तुत होने पर सहायक जिलाधीश जांच करेगे एवं उचित कारण होने पर ही सम्पत्ति बराबर मूल्यांकन कर विनिमय का आदेश देगें। प्रस्तुत प्रकरण में विचारण न्यायालय ने पक्षकारान की ओर से प्रस्तुत दस्तावेजी एवं मौखिक साक्ष्य

के आधार पर विनिमय को प्रमाणित नही होना मानते हुए वादीगण द्वारा प्रस्तुत वाद को खारिज किया। प्रस्तुत प्रकरण में विनिमय का कोई लिखित दस्तावेज उपलब्ध नहीं होने विनिमय को प्रमाणित नहीं माना जा सकता। विवादित आराजी के विनिमय हेतु दोनों पक्षों की लिखित अथवा मौखिक सहमति होने पर ही विनिमय बाबत् जांच उपरान्त आदेश पारित किये जा सकते है। प्रस्तुत प्रकरण में विचारण न्यायालय ने पक्षकारान की ओर से प्रस्तुत दस्तावेजी एवं मौखिक साक्ष्य के परिप्रेक्ष्य में तनकीवार विवेचन एवं विश्लेषण करते हुए विनिमय को प्रमाणित नहीं होना मानते हुए वादीगण द्वारा प्रस्तुत वाद को विधिसम्मत् निर्णय एवं डिक्री से खारिज किया, जिसे अधीनस्थ अपीलीय न्यायालय द्वारा अपील को स्वीकार कर विचारण न्यायालय द्वारा पारित निर्णय एवं डिक्री को निरस्त करने में विधिक एवं तथ्यात्मक त्रुटि कारित की है तथा पारित निर्णय में मूल वाद में कायम की गयी तनकीयात पर भी कोई विवेचन एवं विश्लेषण नहीं किया गया है। उक्त के परिप्रेक्ष्य में अधीनस्थ अपीलीय न्यायालय द्वारा पारित अपीलाधीन निर्णय व डिक्री को निरस्त किया जाना न्यायोचित प्रतीत होता है।

8. उपरोक्त सम्पूर्ण विवेचन के आधार पर अपीलार्थीगण द्वारा प्रस्तुत अपील स्वीकार की जाकर अधीनस्थ अपीलीय न्यायालय राजस्व अपील प्राधिकारी, चितौडगढ द्वारा पारित निर्णय व डिक्री दिनांक 17-01-2006 को निरस्त किया जाता है तथा उपखण्ड अधिकारी, बडीसादडी द्वारा निर्णय व डिक्री दिनांक 30-06-2005 को यथावत रखा जाता है।

निर्णय खुले न्यायालय में सुनाया गया।

(सुनील कुमार शर्मा)
सदस्य

(मुकेश शर्मा)
अध्यक्ष